



# जालौन पुलिस



**Meticulous Investigation & Prosecution**

**#OperationConviction**

श्रीमान पुलिस महानिदेशक उ०प्र० लखनऊ महोदय के निर्देशन में अभियुक्तों को सजा दिलाने हेतु प्रभावी पैरवी के लिये सम्बन्धित थाना प्रभारी व पैरोकारों को अपराधियों को अधिक से अधिक सजा दिलाने हेतु निर्देशित किया गया था।

अभियुक्त आबुद्दीन पुत्र शौकीन खाँ नि० ववेडी ग्वालियर रोड भिण्ड थाना व जनपद भिण्ड द्वारा समाज विरोधी क्रिया कलाप में संलिप्त होकर आमजनमानस को डरा धमकाकर अपने आर्थिक लाभ हेतु भय व दहशत फैलाने के सम्बन्ध में थाना माधौगढ में मु०अ०सं० 562/2011 (वाद संख्या- 14/2012) धारा 2/3 गैंगस्टर एक्ट पंजीकृत हुआ था, जिसकी विवेचना सम्पादित कर अभियुक्त आबुद्दीन उपरोक्त के विरुद्ध आरोप पत्र मा० न्यायालय प्रेषित किया गया।

जालौन पुलिस टीम एवं अभियोजन पक्ष तथा कोर्ट पैरोकार के द्वारा अथक प्रयास एवं प्रभावी पैरवी कराते हुये आज दिनांक 19.09.2023 को मा० न्यायालय एडीजे एफटीसी/जीएसटी कोर्ट उरई जनपद जालौन द्वारा अभियुक्त आबुद्दीन उपरोक्त को दोषी पाते हुये 03 वर्ष का कठोर कारावास एवं 5,000/- रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।



शिवदास पाण्डेय नि० लोक  
अभियोजक गैंग० एक्ट



कोर्ट पैरोकार सौरभ दुबे

✕ @jalaunpolice

📷 jalaunpolice

f JalaunPolice